हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–55421-428 शिमला–171009 दिनांक 27.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला बिलासपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतू ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला बिलासपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर, को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला बिलासपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	विकास खण्ड का नामः–सदर					
1	सुई सुरहाड़	1 सुरहाड़	दिगथली (मुख्यावास तूनीघाट)	1 भडोखर	1 सुरहाड़	
		2 बुगाड़		2 दिगथली	2 बुगाड़	
		3 चीलग		3 भोजपुर	3 चीलग	
		4 बठोह		4 घनसेड़	4 बठोह	

		5 सुई		5 बाड़नू	5 सुई	
		6 भडोखर				
		7 दिगथली				
		8 भोजपुर				
		9 घनसेड़				
		10 बाड़नू				
2	धारटटोह	1 धारटटोह	सोलग जुरासी	1 सोलग जुरासी	1 धारटटोह	
		2 सोलग जुरासी				
		3 दरोबड़	दरोबड़	1 दरोबड़		
		4 डिब हंवाणी		2 डिब हंवाणी		
		5 गुणु गानोड़ा		3 गुणु गानोड़ा		
		6 वल्ग घाट		4 वल्ग घाट		
		7 पनाली		5 पनाली		
		8 नली चंगर		6 नली चंगर		
		9 नेरी जांजर		7 नेरी जांजर		
		10 झोर		8 झोर		
3	विकास खण्ड का नामः—घुमारवी					
1	रोहिण	1 रोहिणखास	बल्ह चुराणी	1 बल्ह चुराणी	1 रोहिणखास	
		2 नैणगुजरा		2 गैहरा	2 नैणगुजरा	
		3 बल्ह चुराणी				
		4 गैहरा				
2	मल्यावर	1 मल्यावर		3 छुजाला	1 मल्यावर	
		2 छुजाला			2 अमर सिंहपुरा	
		3 अमर सिंहपुरा				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच—एचए(1)2/2019—55421-428 शिमला—171009 दिनांक 27.8.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः—

1. उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश आप्पतियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्राधन/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा

क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतू तुरन्त उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।

4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–09